राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ4(ई)अलेसे–III/6616 दिनांक :– 21/01/2021

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को उनके आवेदन के अनुसरण में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	लिंक नं.	नाम क. लेखाकार (श्री/श्रीमती/सुश्री)	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	9908	ओम प्रकाश माली	स्नातकोत्तर (राजनीति विज्ञान) 2020 (दूरस्थ शिक्षा)	वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यायालय, कोटा	कार्यालय उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्य कर विभाग, भीलवाड़ा
2	10283	शैलेन्द्र सिंह परमार	स्नातक (दूरस्थ शिक्षा)	वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यायालय, कोटा	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर
3	10658	सत्येन्द्र सिंह	स्नातकोत्तर (अर्थशास्त्र) प्रथम वर्ष – 2020–21 (दूरस्थ शिक्षा)	वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यायालय, कोटा	कार्यालय अति. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, भरतपुर
4	10808	आशीष गर्ग	स्नातकोत्तर (वाणिज्य – बीएडीएमपी) (प्रथम वर्ष) 2020 (स्वयं पाठी)	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, नोहर (हनुमानगढ़)
5	11614	शशिकान्त शर्मा	स्नातकोत्तर (ईएएफएम) (अंतिम वर्ष) 2020 (स्वयं पाठी)	राज. विश्वविद्यालय, जयपुर	मुख्य अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना क्षेत्र, जयपुर
6	11739	बुद्धा राम स्वामी	स्नातकोत्तर (इतिहास) (अंतिम वर्ष) 2020 (दूरस्थ शिक्षा)	वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यायालय, कोटा	कार्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर
7	12159	सुदर्शन कुमार वर्मा	स्निातकोत्तर (इतिहास) (प्रथम वर्ष) 2021 (दूरस्थ शिक्षा)	कोटा खुला विश्वविद्यायालय, कोटा	कार्यालय उपायुक्त (प्रशासन II), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :–

1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
2 आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित/ स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5 उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।

8 अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/ विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
10 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :– एफ4(ई)अलेसे–III / 6616 दिनांक :– 21/01/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संबंधित विभाग / कार्यालय (तालिका के कॉलम 6 के अनुसार)।
2. निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)